प्रेस नोट
दिनांक 20.09.2024, को0 कर्नलगंज
जनपद गोण्डा।

थाना को0कर्नलगंज क्षेत्रान्तर्गत घर में घुसकर चोरी करने के 04 शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे चोरी का 04 मंगलसूत्र, 01 चैन, 01 जोड़ी झुमका, 04 अगूठी, 05 नाक का कील, 01 नत्था, 08 जोड़ी पायल, 08 जोड़ी विछुआ, 01 बाला, 02 मोती का माला, चोरी का रू0 7,200/- नगद बरामद।

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना को0 कर्लनगंज पुलिस टीम द्वारा मु0अ0स0- 404/24, धारा 331(4), 305, 317(2) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित प्रकाश में आये 04 आरोपी अभियुक्तों 01. पप्पू चौहान, 02. अजीज खान, 03. राधेश्याम पासी, 04. बृजेश कुमार को दर्शन तिवारीपुरवा जाने वाले तिराहे के पास गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 04 अदद मंगलसूत्र, 01 अदद चैन ओम लाकेट, 01 जोड़ी झुमका, 04 अदद अगूठी, 05 अदद नाक का कील, 01 अदद नत्था 08 जोड़ी पायल, 08 जोड़ी विछुआ, 01 अदद बाला, 02 अदद मोती का माला, चोरी का रू0 7,200/- नगद बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

वादी श्री पवन कुमार मिश्रा पुत्र श्री ललितराम मिश्रा निवासी ग्राम अधारपुरवा मौजा मौहर थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0कर्नलगंज पर सूचना दिये कि दिनांक- 21.08.2024 वह अपने परिवार के साथ सो रहा था की अज्ञात चोरो द्वारा उनके छत पर चढकर सीढी के रास्ते घर में घुसकर कीमती जेवरात सोने व चाँदी की व नगदी चोरी कर ले गये। तहरीर के आधार पर थाना को0कर्नलगंज में मु0अ0स0- 404/24, धारा 331(4), 305 बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा चोरी की घटना के शीघ्र अनावरण करने हेतु प्रभारी निरीक्षक को0कर्नलगंज को निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में आज दिनाकं 20.09.2024 को थाना को0कर्नलगंज पुलिस टीम द्वारा रात्रि गस्त व देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर दर्शन तिवारीपुरवा जाने वाले तिराहे के पास से प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्तो- 01. पप्पू चौहान, 02. अजीज खान, 03. राधेश्याम पासी व 04. बृजेश कुमार को दर्शन तिवारीपुरवा जाने वाले तिराहे के पास गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 04 अदद मंगलसूत्र, 01 अदद चैन ओमलाकेट, 01 जोड़ी झुमका, 04 अदद अगूठी, 05 अदद नाक का कील, 01 अदद नत्था 08 जोड़ी पायल, 08 जोड़ी विछुआ, 01 अदद बाला, 02 अदद मोती का माला, चोरी का रू0 7,200/- नगद बरामद किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तो के विरूद्ध थाना को0कर्नलगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्तो द्वारा बताया गया कि एक माह पहले थाना कर्नलगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मौहर के एक घर में घुसकर कीमती जेवरात, समान व नगदी चोरी किये थे, 02 माह पूर्व थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम छावनी सरकार में घर से कीमती जेवरात व समान चोरी किये थे। दिनांक 28.08.2024 की रात में ग्राम लौव्वा बीरपुर थाना नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत कई घरों में चोरी किये थे। इनका एक संगठित गिरोह है जो

आर्थिक लाभ कमाने के लिए तरह-तरह के तरीके अपनाकर घरों में चोरी की घटनाओ को अंजाम दिया करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. पप्पू चौहान पुत्र गोमती चौहान निवासी ग्राम बबया मौजा एकनापुर थाना पयागपुर जनपद बहराइच।

02. अजीज खान पुत्र सब्बीर खां निवासी ग्राम मंगल भट्टा थाना भिनगा जनपद श्रावस्ती।

03. राधेश्याम पासी पुत्र शिवबहादुर निवासी ग्राम मदनवा मौजा राजापुर थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

04. बृजेश कुमार पुत्र शिवबहादुर ग्राम मदनवा मौजा राजापुर जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0स0- 404/24, धारा 331(4), 305, 317(2) बी0एन0एस0 थाना को0कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

02. मु0अ0स0- 557/24, धारा 331(4), 305(A), 317(2) बी0एन0एस0 थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

03. मु0अ0स0- 295/24, धारा 331(4), 305(A), 317(2) बी0एन0एस0 थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

04. मु0अ0स0- 274/24, धारा 331(4), 305(A), 317(2) बी0एन0एस0 थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 04 अदद मंगलसूत्र (पीली धातु)
02. 01 अदद चैन ओम लाकेट(पीली धातु)
03. 01 जोड़ी झुमका (पीली धातु)
04. 04 अदद अगूठी (पीली धातु)
05. 05 अदद नाक का कील (पीली धातु)
06. 01 अदद नत्था (पीली धातु)
07. 08 जोड़ी पायल (सफेद धातु)
08. 08 जोड़ी विछुआ
09. 01 अदद बाला
10. 02 अदद मोती का माला
11. चोरी का रू0 7,200/- नगद बरामद।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 अंकित सिह
02. उ0नि0 बृजेश सिंह
03. उ0नि0 नागेश्वर नाथ पटेल
04. उ0नि0 अमरनाथ
05. हे0का0 राजेश यादव
06. का0 बृजेश कुमार
07. का0 ऋषिकेश यादव
08. का0 अजीत सिंह

अपराधिक इतिहास अभियुक्त राधेश्याम पुत्र शिवबहादुर पासी

01. मु0अ0स0- 164/01, धारा 394, 411, भादवि व 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

02. मु0अ0स0- 145/03, धारा 147, 148, 149, 302 भावि व 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

03. मु0अ0स0- 172/03, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

04. मु0अ0स0- 134/04, धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

05. मु0अ0स0- 100/08, धारा 110जी सी0आर0पी0सी0 थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

06. मु0अ0स0- 115/04, धारा 3(1) गुण्डा एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

07. मु0अ0स0- 63/10, धारा 110जी सी0आर0पी0सी0 थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

08. मु0अ0स0- 115/14, धारा 323, 504, 506, 452, भादवि व 3/25 आर्मस एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

09. मु0अ0स0- 118/14, धारा 147, 148, 149, 452, 323, 427 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

10. मु0अ0स0- 148/14, धारा 324,323, 504 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

11. मु0अ0स0- 166/24, धारा 229ए भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

12. मु0अ0स0- 209/19, धारा 459, 380, 411 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

13. मु0अ0स0- 313/19, धारा 457, 380 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 20.09.2024, थाना कोतवाली नगर,

जनपद गोण्डा।

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल बरामदः-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में गठित थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0- 662/24 धारा 303(2), 317(2) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित प्रकाश में आये 02 आरोपी अभियुक्त- 01. दुर्गेश मिश्रा व 02. पवन कुमार को रानीजोत के तरफ से स्टेशन रोड़ जाने वाली पक्की सड़क के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वादी श्री विकास कुमार पुत्र सूर्यनाथ निवासी ग्राम ढोढरा भैंसहा थाना खोराबार जिला गोरखपुर द्वारा थाना कोतवाली नगर पर सूचना दिये कि दिनांक 02.09.2024 को अपने मोटरसाइकिल को तहसील में नीचे खड़ा करके अपने कार्यालय में चला गये शाम को घर वापस जाने के लिए मोटरसाइकिल के पास आये तो देखा की अज्ञात चोरो द्वारा मोटरसाइकिल चोरी कर लिया गया है, तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0- 662/24, धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी व चोरी गई मोटरसाइकिल बरामदगी हेतु टीमों का गठन किया गया। आज दिनांक 20.09.2024 को थाना को0नगर पुलिस टीम द्वारा प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्त- 01. दुर्गेश मिश्रा व 02. पवन कुमार को रानीजोत के तरफ से स्टेशन रोड़ जाने वाली पक्की सड़क के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. दुर्गेश मिश्रा पुत्र जगदीश प्रसाद मिश्रा निवासी सिंहपुर थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
02. पवन कुमार पुत्र जगराम गुप्ता निवासी पुरेशिवा बख्तावार बुधईपुरवा थाना को0नगर जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग

01. मु0अ0सं0- 662/2024, धारा 303(2), 317(2) बी0एन0एस0, थाना कोतवाली नगर, जनपद- गोण्डा

बरामदगी-

01. चोरी का 01 अदद मोटरसाइकिल UP53CL2767 (स्पलेण्डर प्लस) बरामद

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 विपुल कुमार पाण्डेय
02. हे0का0 दीनदयाल यादव
03. हे0का0 अजय कुमार पाण्डेय
04. का0 विजय कुमार

आपराधिक इतिहास अभियुक्त दुर्गेश मिश्रा पुत्र जगदीश प्रसाद मिश्रा

1. मु0अ0सं0 125/2024 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा
2. मु0अ0सं0 129/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा
3. मु0अ0सं0 393/2022 धारा 411/419/420/467/468/471 भादवि0 थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा
4. मु0अ0सं0 394/2022 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा
5. मु0अ0सं0 734/2024 धारा 379/411 भादवि0 थाना को0 नगर जनपद गोण्डा

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्त पवन कुमार पुत्र जगराम</u>

1. मु0अ0सं0 47/2020 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना को0 नगर जनपद गोण्डा
2. मु0अ0सं0 204/2024 धारा 379/411 भादवि0 थाना को0 नगर जनपद गोण्डा
3. मु0अ0सं0 243/2024 धारा 379/411 भादवि0 थाना को0 नगर जनपद गोण्डा
4. मु0अ0सं0 703/2021 धारा 401 भादवि0 थाना को0 नगर जनपद गोण्डा
5. मु0अ0सं0 704/2021 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना को0 नगर जनपद गोण्डा

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 20.09.2024 थाना नवाबगंज
जनपद गोण्डा।

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा मारपीट करने का वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 97/2024 धारा 308, 504, 506 भा0द0वि0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अमित कुमार सिंह पुत्र ओम प्रकाश सिंह निवासी ग्राम साहपुर थाना मैजानपुर जिला आजमगढ़ को चौखडिया पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.09.2024 को वादी पाटन दीन पुत्र स्व0 हीरालाल ग्राम शाहपुर जफरापुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना नवाबगंज पर लिखित तहरीर दी गयी की उसका परशुरामपुर मोड पर चाय पानी पकौडा का दुकान है वही विपक्षीगण द्वारा एक राय होकर गाली गुप्ता देते हुए लाठी व डण्डे से वादी को व उसके बेटे को मार पीट है, तथा कराही में जलता हुआ तेल वादी व वादी के पुत्र के उपर डाल कर घायल कर दिया है। प्राप्त तहरीर की आधार पर नवाबगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा विवेचना उ0नि0 संजीव सिंह द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान धारा 308(5) बीएनएस की बढ़ोत्तरी करते हुए दोषी पाये गए आरोपी अभियुक्त सुरेन्द्र यादव पुत्र जनकराम यादव निवासी ग्राम खुर्दाबाद जफरापुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को आज दिनांक 20.09.2024 को दुर्गगंज पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. सुरेन्द्र यादव पुत्र जनकराम यादव निवासी ग्राम खुर्दाबाद जफरापुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं० 303/2024 धारा 191(2), 118(2), 115(2), 352, 351(3), 308(5) बीएनएस थाना नवाबगंज, जनपद गोंडा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 संजीव सिंह
02. हे0का0 देशदीप गिरी
03. हे0का0सुनील यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 20.09.2024, थाना कटराबाजार,
जनपद गोण्डा।

थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की के साथ सामुहिक दुराचार करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तारः-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना कटराबाजार पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-324/2024, धारा 74, 70(2) बीएनएस, 5G/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित 02 अभियुक्तो 01. मायाराम कोरी व 02. धनीराम कोरी को कौडहा जगदीशपुर मोड़ से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.08.2024 को थाना कटराबाजार क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना कटराबाजार में लिखित सूचना दी गयी कि दिनांक 20.08.2024 को दोपहर 02 बजे उसकी नाबालिग पुत्री नहर पर अपना भैस चरा रही थी की विपक्षीगण द्वारा उसकी नाबालिग बेटी को अकेला पाकर सामुहिक दुराचार किया गया है। उक्त सूचना पर थाना कटराबाजार में मु0अ0सं0-324/2024, धारा 74, 70(2) बीएनएस, 5G/6 पाक्सो एक्ट बनाम 01. मायाराम कोरी व 02. धनीराम कोरी के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ था । घटना को संज्ञान में लेकर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा आरोपी अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन किया गया था। आज दिनांक 20.09.2024 को थाना कटराबाजार पुलिस टीम द्वारा आरोपी अभियुक्तों 01. मायाराम कोरी व 02. धनीराम कोरी को कौडहा जगदीशपुर मोड़ से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. मायाराम कोरी पुत्र दुलारे कोरी निवासी कौडहा जगदीशपुर थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा
02. धनीराम कोरी पुत्र जगप्रसाद कोरी निवासी कौडहा जगदीशपुर थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-324/2024, धारा 74, 70(2) बीएनएस, 5G/6 पाक्सो एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 अरविन्द कुमार सिंह
02. उ0नि0 पेशकार यादव
03. का0 अवनीश कुमार
04. का0 उपेन्द्र कुमार
05. का0 मणिकान्त चौहान

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 20.09.2024, मानिटरिंग सेल

जनपद गोण्डा।

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से मारपीट करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को हुई 03 वर्ष कारावास व प्रत्येक को रू0 16,000/- अर्थदण्ड की सजा-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी अशोक कुमार पाण्डेय पुत्र जगतमणि पाण्डेय निवासी ग्राम कशमिरवा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा द्वारा दिनांक 06.07.2015 को थाना खरगूपुर को सूचना दिया कि विपक्षीगण आम के पेड़ के बटवारे के विवाद को लेकर वादी को गाली गुप्ता देते हुए लाठी दण्डा से मार पीट कर घायल कर दिये थे। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था । मेडिकल रिपोर्ट आधार पर अभियोग में धारा 325, 308 भावि की बढोत्तरी करते हुए अभियुक्तो को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

दोषसिद्धि का विवरण-

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी श्री राजेश नारायण मणि त्रिपाठी द्वारा थाना खरगूपुर पुलिस, मॉनिटरिंग सेल, लोक अभियोजक श्री मनमोहन मिश्रा , कोर्ट मोहर्रिर का0 प्रवीण आर्या व थाना खरगूपुर के पैरोकार हे0का0 रवि उपाध्याय की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक- 20.09.2024 को दोषी अभियुक्तों – 01. सावल प्रसाद व 02 विकास को 03 वर्ष का कारावास व रू0 16,000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

अभियुक्तगण का नाम पता-

01. सांवल प्रसाद पुत्र संसारमणि निवासी कश्मीरवा, थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
02. विकास पुत्र विनोद कुमार पाण्डेय निवासी ग्राम कश्मीरवा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0- 328/2015, धारा 323, 504, 325 308 भादवि थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा.

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 20.09.2024, मानिटरिंग सेल
जनपद गोण्डा।

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से मारपीट करने के 03 आरोपी अभियुक्तों को हुई 03 वर्ष कारावास व प्रत्येक को रू0 6,000/- अर्थदण्ड की सजा-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी सांवल प्रसाद पाण्डेय पुत्र संसार मणि पाण्डेय निवासी कशिमरवा थाना खरगुपुर जनपद गोण्डा द्वारा दिनांक 06.07.2015 को थाना खरगूपुर को सूचना दिया कि विपक्षीगण आम के पेड़ के बटवारे के विवाद को लेकर वादी को गाली गुप्ता देते हुए लाठी दण्डा से मार पीट कर घायल कर दिये थे। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तो को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण-

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी श्री राजेश नारायण मणि त्रिपाठी द्वारा थाना खरगूपुर पुलिस, मॉनिटरिंग सेल, लोक अभियोजक श्री मनमोहन मिश्रा , कोर्ट मोहर्रिर का0 प्रवीण आर्या व थाना खरगूपुर के पैरोकार का0 वासू कुमार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक-20.09.2024 को दोषी अभियुक्तों – 01. अशोक कुमार पाण्डेय, 02. अमरीश कुमार व 03. मुन्नालाल उर्फ मुलायम को 03 वर्ष का कारावास व रू0 6,000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्तगण का नाम पता-

01. अशोक कुमार पाण्डेय पुत्र जगतमणि निवासी ग्राम कसमिरवा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
02. अमरीश कुमार पाण्डेय पुत्र जगतमणि निवासी ग्राम कसमिरवा, थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा।
03. मुन्नालाल उर्फ मुलायम पुत्र गणेश दत्त निवासी ग्राम कसमिरवा, थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0- 416/2015, धारा 323, 504, 325 भादवि थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा.

मीडिया सेल, गोण्डा।